न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट , आर.ए.एस.

अपील संख्या : 45/2017 एल.आर. एक्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1.	मनीराम पुत्र गंगाराम	जाति ब्राहम्ण साकिन डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान
2.	रामप्रताप पुत्र रामेश्वरलाल	
3.	कृष्णलाल पुत्र केसराराम	

रेस्पोडेंटस

उपस्थितः 1. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक रेस्पो. नं. 1.2.3

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15–02–2013 के विरूद्ध पेश हुई है जिसका सार यह है कि चक 9 एम.ओ.डी. व 17 जे.आर.के. की 42.17 बीघा भूमि मंदिर ठाकुर जी ग्राम डबली के नाम जमाबंदी सं. 2012 व पश्चावर्ती जमाबंदियों में माफी की भूमि रिकार्डड है तथा उक्त भूमि के काश्तकारी सुगनचन्द वगैरह थे। कालान्तर में सहायक कलक्टर जागीरदारी एवं विश्वेदारी ने आदेश दिनांक 01.07.1962 से प्रश्नगत भूमि सुगनचन्द वगैरह के नाम खातेदारी अंकित करने के आदेश दिये जिसका नामान्तरकरण संख्या 35 दर्ज हुआ और जमाबन्दी सं. 2025–2028 में उसका अमलदरामद हो गया पर भूमि जमाबन्दी में बदस्तुत माफी मन्दिर अंकित होती रही। सहायक कलक्टर जागीरदारी एवं विश्वेदारी के आदेश दिनांक 01.07.1962 भू सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत पारित किया जाना प्रतीत होता है तथा उनके आदेश दिनांक 1.7.1962 की पालना में सं. 2025 से 2028 की जमाबंदी के बाद पश्चावर्ती जमाबंदियों में भी विवादास्पद भूमि को खातेदारी अंकित न कर मंदिर ठाकुर जी के नाम माफी की भूमि दर्ज की गई

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है। रेस्पोडेंट मनीराम आदि ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेंटस के नाम खातेदारी अंकित करने की इस्तदुआ की जिसे सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने निर्णय दिनांक 15.02. 2013 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश कानून के विरूद्व रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत एवं स्वेच्छापूर्ण तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। माफी भूमि को महज काश्त करने से किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है ऐसे आदेश कानूनन शुन्य (Void abimiteo) व क्षेत्राधिकार विहिन (With out jurisdicten) होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. मियादः— अपील करीब 20 माह विलम्ब से पेश करने पर अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत विलम्ब शमन के लिये दरख्वास्त पेश की। अपीलांट ने निर्णय की प्रति प्राप्त करने तथा जिला स्तर से अपील के बारे में सक्षम स्वीकृति की प्रक्रिया में व्यतीत हुये समय के आधार पर विलम्ब माफ किये जाने का अनुरोध किया। रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2008 पृष्ठ 723, आरआरडी 2009 पृष्ठ 167, आरआरडी 1999 पृष्ठ 351, आरआरडी 1986 पृष्ठ 37, आरआरडी 2003 पृष्ठ 23, आरआरडी 2000 पृष्ठ 547 प्रस्तुत कर मियाद के प्रश्न को पहले निर्णित करने विलम्ब के प्रतिदिन का स्पष्टीकरण व संतोषजनक कारण होने पर ही विलम्ब शमन पर विचार करने का तर्क दिया। अपीलांट ने जवाब में बताया कि अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने तथा राज्य पक्ष को सुनवाई का माकूल मौका दिये बिना जारी किया गया था। सरकारी प्रक्रिया के तहत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु जिला स्तर से विधिक राय लेनी पड़ी। इसी दौरान विधान सभा चुनावों में व्यस्त होने के कारण समय पर विधिक राय नहीं मिल पायी। इस प्रकार 20 माह का विलम्ब परिस्थितिजन्य जिसको टाला जाना संभव नहीं था।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त अपील पेश करने में विलम्ब का कारण परिस्थितिजन्य एवं संतोषजनक पाया जाता है। अतः अपीलांट की दरख्वास्त स्वीकार की जाकर विलम्ब का शमन किया जाता है।

3. अपील के गुणागुण के सम्बन्ध में अपीलांट का तर्क है कि विवादित भूमि मंदिर माफी की थी। सहायक कलेक्टर जमीदारी एवं विश्वेदारी के आदेश दिनांक 1.7.1962 के माफी रिज्यूम के बारे में थी। उक्त आदेशों के अनुसार रेस्पोडेंट्स का नाम कभी भी जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया गया। जब जमाबंदी में कभी प्रविष्टी हुई ही नहीं तो लिपिकीय त्रुटिवंश उसे हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मामला भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों में कवर नहीं होने के उपरान्त भी उक्त प्रावधान के तहत जारी आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है।

रेस्पोंडेंट का जवाब है कि विवादित भूमि कभी भी मंदिर की खुदकाश्त की नहीं रही है। भूमि रेस्पोंडेंट की खुदकाश्त में होने के कारण उन्हें खातेदारी अधिकार सन् 1962 में मिल गये थे, परन्तु तत्कालीन अधिकारियों की भूल से जमाबन्दी में प्रविष्टी नहीं की गई। आरआरडी 1991 पृष्ठ 7, आरआरडी 2018 पृष्ठ 273, आरआरडी 2002 पृष्ठ 337, आरआरडी 2017 पृष्ठ 356 की प्रतियॉ न्यायिक दृष्टांत के रूप में पेश की गई।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश केवल भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि को दुरस्ती के रूप में किया गया है। लिपिकीय त्रुटि की दुरस्ती से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सूचित किया जाकर संक्षिप्त कार्यवाही के तहत दुरस्ती कार्यवाही की जाती है। विचाराधीन मामले में रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस भूमि के खातेदारी अधिकार हासिल करने के लिये टीनेंन्सी एक्ट की धारा 183 के तहत वाद पेश कर रखा है। रेस्पोडेंट्स ने इस जागीर रिज्म्पशन एक्ट तथा टीनेन्सी एक्ट की धारा 9 से 13 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रकरण माना है। ऐसी स्थिति में समानान्तर कार्यवाही के रूप में लिपिकीय त्रुटी बताकर 40 साल पहले के रिकार्ड में फेरबदल की कार्यवाही विधि सम्मत

नहीं थी। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार की रिपोर्ट में दुरस्ती का प्रकरण होना स्वीकार करने का गलत उल्लेख किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में ऐसी कोई सहमति नहीं थी तथा राजस्व रिकार्ड के विरूद्व ऐसी कथित सहमति का भी कोई आधार नहीं है। टीनेसीं एक्ट प्रभाव में आने के बाद तैयार जमाबन्दियों में से किसी भी चौसाला जमाबन्दी में रेस्पोडेंट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हुआ था। उपखण्ड अधिकारी ने गलत तथ्यों को उल्लेख करते हुये जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टियों का भूल से अगली जमाबन्दियों में दर्ज होने से छूटना मानकर विधि विरूद्व आदेश दिया है। उपखण्ड अधिकारी का यह कृत्य पदीय कदाचार तथा पदीय दुरूपयोग की श्रेणी में आता है।

4. अतः अपीलांट राज्य सरकार की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2013 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।